सार-समाचार

'प्रशंस्कों की तालियां ही होती है कलाकार की असली पूंजी'

कोटा, (निसं)। कीर्तांशम् दी ग्रुप ऑफ़ सोशल अवेयरनेस संस्थान की ओर से 17 कला प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। संस्थान की अध्यक्ष स्नेहा श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ.नवीन सक्सेना ने अपने उद्बोधन ने कहा कि कला जीवन में कई रंग भरती है आज के दौर में इसका महत्व बढ़ है। शिक्षाविद् नीलम खंडेलवाल ने कहा कि युवाओं को तनाव से दूर रखने का जिम्मा हम सभी का हैं। इस दिशा में भी निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। डॉ.मीरा ने कहा कि कलाकार तो बड़ा संतुष्ट रहने वाला जीव होता हैं। प्रशंसकों की तालियां ही उसकी असली पूंजी होती है। वरिष्ठ रंगकर्मी विनोद सक्सेना ने कहा कि कलाकारों को अवसर एवं प्रोत्साहन मिलना चाहिऐं। संस्थान की मास्टर ट्रेनर कीर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य मे नाट्य कला को स्कूली पाठ्यक्रम मे जोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है। समाज के विकास मे भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है जिसे नकारा नही जा सकता संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. गोयल ने बताया कि समारोह मे सात दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नव- कलाकारों सहित 17 कलाकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा ने किया।

रेलवे मजिस्ट्रेट ने कोटा से सवाईमाधोपुर खंड में की चैकिंग

कोटा, (निसं)। ट्रेनो में यात्रा के दौरान चलने वाले बिना टिकिट यात्रियों व अवैध वेण्डरों पर कार्यवाही करने के लिये शुक्रवार को रेलवे के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार मीना के नेतृत्व में चैकिंग दिवस के दौरान टिकिट चैकिंग स्टॉफ, जीआरपी व आरपीएफ द्वारा कोटा प्लेटफार्म व कोटा से सवाईमाधोपुर के बीच ट्रेनों में औचक निरीक्षण किया गया। रेलवे मजिस्ट्रेट के निर्देशन में टीम द्वारा कोटा से सवाईमाधोपुर के बीच ट्रेन नम्बर 19037 अवध एक्सप्रेस में एवं सवाईमाधोपुर से कोटा के बीच ट्रेन नम्बर 12978 मरूसागर एक्सप्रेस में संयुक्त रूप से चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान टिकिट चैकिग स्टॉफ द्वारा जीआरपी व आरपीएफ जाप्ता के सहयोग से चैकिंग के दौरान बिना टिकिट यात्रा कर रहे 16 यात्रियों को पकड़कर रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये गये जिनसे मौके पर कुल 20360 रूपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं जीआरपी द्वारा प्लेटफार्म व ट्रेनों में गंदगी फैलाने वाले 8 यात्रियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई एवं आरपीएफ पुलिस द्वारा रेल अधिनियम के तहत 69 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये गये। रेलवे मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हुई चैकिंग के दौरान की गई समस्त कार्यवाही में कुल 43210 रूपयों का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया। उक्त चैकिंग में रेलवे कोर्ट स्टॉफ हरिश कुमार बमनावत (रीडर) एवं आशुतोष कुमार, जीआरपी के सहायक उपनिरीक्षक अशोक कुमार, कांस्टेबल विकास कुमार, आरपीएफ से निरीक्षक सीएस डाबर, सहायक उपनिरीक्षक हरिओम व आरक्षक कुंवरचन्द तथा टिकिट चैकिंग स्टाफ से सीटीआई विष्णु शर्मा, डिप्टी सीटीआई दिनेश कुमार, डिप्टी सीटीआई नरेन्द्र सिंह चौधरी, टीटीई फतेह सिंह व टीटीई अमन मौजूद रहे।

बिगड़ी बिजली व्यवस्था में सुधार के लिये कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बिगड़ी बिजली व्यवस्था में सुधार के लिये धरना, प्रदर्शन करके ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बरसात के बीच भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर चौराहे पर धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक दर्जन से अधिक वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। इसके बाद धरना स्थल से रैली के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विद्युत व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की। शुक्रवार सुबह 10 बजे से अम्बेडकर चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हुआ। धरने में शामिल कार्यकर्ताओ वक्ताओं ने सम्बोधित करते हुये कहा कि वर्तमान केबिनेट मंत्री मदन दिलावर जब विधायक थे और उस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय बिजली की कोई समस्या नहीं थी। इसलिये केबिनेट मंत्री के पद से दिलावर इस्तीफा दें। धरने में रामगंजमंडी, चेचट, मोड़क, ढाबादेह, सुकेत, सातलखेड़ी, जुल्मी व खैराबाद सहित ग्रामीणों क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं नेता शामिल हुए। वहीं सभी मंडल अध्यक्षों, पूर्व पार्षद, ज़िला परिषद, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ कांग्रेसियों ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया।

टिकट चैकिंग अभियान चलाया

कोटा, (निसं)। डीआरएम अनिल कालरा के मार्गदर्शन में मंडल के वाणिज्य विभाग ने वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दो माह में कोटा मंडल ने टिकट अभियान चलाकर कुल 60,227 मामलें पकड़े जिससे रेलवे को 4.3 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। कोटा मंडल ने विशेष रूप से लोकल सवारी ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर शिकंजा कसा है। यदि टिकट चैकिंग अभियान में केवल मई माह के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंडल ने जाँच के दौरान बिना टिकट, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले एवं बिना बुक गये सामान सहित कुल 32,448 मामलों से 2.4 करोड़ रुपये अर्जित किये। जिसमे बिना टिकट के 16,380 मामले, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले 15986 मामलें एवं बिना बुक गये सामान के 82 मामले पकड़े गए। जोकि वाणिज्य विभाग के टिकट चैकिंग कर्मचारियों द्वारा किया गया सराहनीय कार्य है। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक सौरभ जैन नें यात्रियों से अपील की है कि उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

छत्रपति शिवाजी को किया नमन

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा शुक्रवार को डीसीएम रोड स्थित शिवाजी पार्क में श्रमदान कर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कोटा शहर संयोजक विवेक राजवंशी के सानिध्य में श्रमदान कर शिवाजी पार्क की सफाई की गई। इस दौरान उपस्थित जनों ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर विवेक राजवंशी ने कहा कि शिवाजी महाराज देश के महान सपूत थे। उनका शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि के प्रति समर्पण अद्वितीय था। उनका कृतित्व हम सब के लिए प्रेरणा है। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कोटा शहर सह-संयोजक नन्द लाल प्रजापति, पार्षद गोपाल राम मण्डा, योगेश आहलूवालिया भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अशोक मीणा, भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य कैप्टन सुरेश, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा, उद्योग नगर भाजपा मंडल महामंत्री हरेन्द्र सिंह, महिला प्रमुख शर्मिला यदुवंशी, कोषाध्यक्ष बलवान सिंह, पूर्व पार्षद कलावती निम्सेपूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश साहु वार्ड अध्यक्ष कैलाशचंद कुमावत, सोशल मीडिया संयोजक रवीन्द्र सुवालका मंडल सदस्य ललित कुमार आदि उपस्थित थे।

गंदगी नालों और सड़कों पर डालने वाले वाहनों पर होगी कार्यवाही

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा उत्तर अब निजी वाहनों के द्वारा मलबा व सेप्टीक टैंक की गंदगी नालों व सड़कों पर डालने वालों का चालान बनाने व जुर्माने की कार्यवाही को अंजाम देगी। कोटा उत्तर निगम के आयुक्त अशोक त्यागी ने बताया कि इस बारे मे सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों व कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देशित कर दिया गया है कि वो इस संबंध में अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी करें और सेप्टिक टैंक की गंदगी सड़कों व नालियों में डालने वालों को मौके पर ही उनका चालान करते हुए न्यूनतम 5 हजार रूपये जुर्माना राशि वसूलें। आयुक्त त्यागी ने बताया कि जानकारी मे आया है कि कुछ निजी वाहनों द्वारा निजी तौर पर सेप्टिक टैंक की गंदगी एकत्रित कर नालों व सड़कों पर डाल दी जाती है। जिससे निगम के स्वच्छता के प्रयासों को हानि होती है ।

136 सीसीटीवी कैमरे लगाये

कोटा, (निसं)। शहर में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन निगरानी के तहत भामाशाह व जनसहयोग से शहर में 136 सीसीटीवी कैमरे लगाये गये है। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि शहर में अपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अवैध गतिविधियों की निगरानी हेतु शहर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन निगरानी के तहत शहर के प्रमुख स्थानों का चयन कर कोचिंग एरिया एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर भामाशाह व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से 136 सीसीटीवी कैमरे लगाये गये है।

ऊर्जा मंत्री ने 8.96 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया

कोटा, (निसं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार को सांगोद में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पास 33/11 केवी जीएसएस के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। वहीं पंचायत समिति सांगोद के पास बपावर रोड पर शहरी जल योजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। साथ ही, काशीपुरी मांगलिक धर्मशाला में शिलापट्ट का शिलान्यास और लक्ष्मीपुरा स्थित तालाब पर 101 पौधे रोपने के कार्य का शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री ने काशीपुरी मांगलिक धर्मशाला में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिऐं। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सांगोद को सड़क, पानी, बिजली से लेकर हर आधारभूत आवश्यकता हमारी प्राथमिकता में है। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछ रहा है, तालाबों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, इसके लिए राशि की कोई कमी नहीं है। सांगोद की जनता को निर्बाध और पूरे वोल्टेज से बिजली मिले, इसके लिए सांगोद में एक और जीएसएस बनाया जा रहा है। सांगोद की जनता को पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति हो, पूरे प्रेशर से नलों में पानी आए, इसके लिए उच्च

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया ।

जलाशय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी कर दिया है। पानी स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पीने के योग्य हो, इसके लिए फिल्टर प्लांट की क्षमता बढ़ाएंगे। जिसके लिए भी 8 करोड़ रुपए की मंजूरी ले ली गई है।

उन्होंने कहा कि सांगोद में दोनों मुख्य रास्तों को डिवाईडर रोड़ बनाने के लिए 12 करोड़ रूपए स्वीकृत हो गए हैं। नालों का गंदा पानी नदी में जाने से रोकने के लिए सीवरेज के लिए भी 20 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो गई है। उन्होंने कहा कि सांगोद क्षेत्र के लोगों के खेतों को पानी भी पहुंचाएंगे और खेतों के लिए रास्ता भी दिलवाएंगे, ये भी हमारा संकल्प है। खेतों के रास्ते के लिए मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए सर्वाधिक सांगोद के लिए स्वीकृत किए हैं। नागर ने कहा कि गांव-गांव में वंचित लोगों की सूची बनाएं, इन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ें।

इस अवसर पर जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, प्रधान जयवीर सिंह, उप प्रधान ओम नागर अडूसा, भाजपा सांगोद देहात मंडल अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मेहता, सांगोद नगर अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सोनी, जिला उपाध्यक्ष दिलीप गर्ग, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष ओम मेहता उपस्थित रहे।

नालों को करवाया साफ

कोटा, (निसं)। तेज बारिश के कारण शुक्रवार को अवरूद्ध हुए स्टेशन क्षेत्र के राम मंदिर वालें बड़े नाले को कोटा उत्तर नगर निगम के प्रतिपक्ष के नेता लव शर्मा द्वारा मौके पर खड़े रहकर तत्काल साफ कराया गया और नालें में फंसे अवरोधों को जेसीबी मशीन व सफाई श्रमिकों के जरिए हटवाया। जिससे नाले का बहाव सुगम हो गया। निगम उत्तर प्रतिपक्ष के नेता लव शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को जानकारी मिली कि राम मंदिर का बड़ा नाला बारिश के कारण बहकर आए कचरे से अवरूद्ध हो गया हैं। जिससे नाले का पानी आवागमन के मार्ग पर फैलने व यातायात बाधित होने की आशंका बन गई है। उन्होंने बताया कि वो तत्काल मौके पर पहुंचे और एक जेसीबी मशीन व सफाई श्रमिको को बुलाकर तत्काल नालें के अवरोधों को हटवाया। जिससे नाले का पानी पुनः सुगमता के साथ प्रवाहित होने लगा। नाला सफाई की कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी मोती लाल चौधरी, स्वास्थ्य निरीक्षक दीपक सोनवाल तथा समाजसेवी जतिन अगनानी भी मौके पर मौजूद रहे।

जोसा काउंसलिंग का रिवाइज शेड्यूल जारी

कोटा, (निसं)। आईआईटी-एनआईटी के लिए होने वाली जोसा काउंसलिंग का रिवाईज शेड्युल शुक्रवार को जारी किया गया। इस शेड्युल के अनुसार सम्पूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया छह राउण्ड में ही संपन्न होगी। पहले राउण्ड की ऑनलाईन रिपोर्टिंग के लिए स्टूडेंट्स को 22 जून शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर स्टूडेंट्स 24 जून शाम 5 बजे तक आई क्वेरी का रेस्पोंस दे सकते हैं। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि आईआईटी-एनआईटी, ट्रिपलआईटी व जीएफटीआई मिलकर 127 कॉलेजों की 62,853 सीटों के लिए जोसा द्वारा ज्वाइंट काउंसलिंग चल रही है, जिसमें 23 आईआईटी की 18160 सीटें, 32 एनआईटी की 24525 सीटें, 26 ट्रिपलआईटी की 9940 सीटें एवं 47 जीएफटीआई की 10228 सीटें शामिल हैं। जारी किए गए रिवाईज शेड्युल के अनुसार जोसा काउंसलिंग के दूसरे राउण्ड का सीट आवंटन 25 जून शाम 5 बजे जारी किया जाएगा ।

'जन आंदोलन से पूरा होगा 11 लाख पौधारोपण का लक्ष्य'

कोटा, (निसं)। शहर को हरा-भरा, स्वच्छ और पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए एक बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान की योजना तैयार की जा रही है। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, नगर निगम, कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) और वन विभाग के अधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पर्यावरणीय संरक्षण, मानसून सीजन की तैयारी और जन सहभागिता के साथ बड़े स्तर पर हरियाली बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना पर मंथन हुआ।

बैठक में स्पीकर बिरला ने अधिकारियों कोटा शहर और आसपास के क्षेत्रों में आगामी मानसून सीजन के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख पौधों के रोपण के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण जैसे अभियानों की सफलता विभागीय समन्वय और सामाजिक सहभागिता पर निर्भर करती है, पौधारोपण जनआंदोलन का रूप लेगा तभी हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करने और कोटावासियों, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठनों को भी जोड़ने के निर्देश दिए।

मॉनिटरिंग के लिए तकनीकी का उपयोग हो-बिरला ने कहा कि पौधारोपण केवल औपचारिकता न होकर एक सार्थक और सतत अभियान हो, जिसकी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। पौधों की देखरेख और उनकी स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए तकनीक का उपयोग किया जाए। प्रत्येक पौधे का डेटा डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि उसकी वृद्धि और स्थिति की समीक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी बड़े चिन्हित क्षेत्र में पौधारोपण किया जाता है, तो वहां ट्यूबवेल की व्यवस्था कर ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पौधों को पानी देने की व्यवस्था की जाए। इससे पौधे सूखेंगे नहीं और उनकी सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगी।

औद्योगिक इकाइयों, संस्थाओं को सहभागी बनाएं-बिरला ने सुझाव दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर जनसहयोग के माध्यम से पौधारोपण किया जाए और पौधों की सार-संभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी जाए। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए, ताकि यह अभियान सामाजिक दायित्व और उत्तरदायित्व की भावना से संचालित हो सकें।

किसानों को होगा निरूशुल्क फलदार पौधों का वितरण-स्पीकर बिरला ने कहा कि शहर के साथ ग्रामीण अंचल में भी हरियाली बढ़े इसके लिए किसानों को निरूशुल्क फलदार पौधे वितरित किए जाएंगे, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित कर कोटा को एक हरित और स्वच्छ शहर बनाना हैं।

'बारिश में रखें बिजली के खतरे से सावधानी, नहीं हों कोई अनहोनी'

■ मौसम में जरा सी असावधानी बरतने पर विद्युत हादसों की आशंका बढ़ जाती है

कोटा, (निसं)। मानसून ने दस्तक दे दी है और बरसात का दौर शुरू हो चुका हैं। ऐसे मौसम में जरा सी असावधानी बरतने पर विद्युत हादसों की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन यदि पूरी सावधानी बरतें तो अनहोनी से बचा जा सकता है। केईडीएल के टेक्निकल हैड अनोमित्रो ढाली ने बताया कि केईडीएल की ओर से शहर के विद्युत तंत्र को दुरस्त करने के लिए पुख्ता कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए ट्रांसफार्मरों को पर्याप्त ऊंचाई पर रखा गया है।

पैनल बॉक्स बंद किए गए हैं, तारों को इंसुलेटेड भी किया गया है। लेकिन लोगों को इसके बाद भी बरसात में करंट के खतरे से बचने के लिए विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। हमारी जरा सी लापरवाही हमारे लिए घातक हो सकती है। ऐसे में लोग विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ से बचें व कुछ अन्य सावधानियां बरतें जिससे विद्युत जनित हादसे नहीं हों। इसके लिए बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों, पैनल बॉक्स, विद्युत लाईनों आदि से दूर रहें, बिजली के खंभों व स्टे वायर आदि से अपने मवेशियों को नहीं बांधें, बारिश के मौसम में बिजली के खम्भे, वितरण बॉक्स, ट्रांसफार्मर, विद्युत लाईन आदि से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करें, आंकड़े नहीं लगाएं, क्योंकि यह अपराध होने के साथ-साथ जानलेवा भी हो सकता है, छत पर या आसपास से गुजरती हुई बिजली की लाईन से उचित दूरी बनाकर रखें, पुरानी कटी-फटी तारों या वायरिंग को बदलवाएं, गीले हाथ से अथवा नंगे पैर बिजली के उपकरण नहीं छुएं, कॉलोनी में पानी भरने के दौरान ट्रांसफार्मर व पिलर बॉक्स तक पानी पहुंच गया हो, करंट की आशंका हो तो तत्काल पर फोन करें, कोई तार टूट जाए, किसी पोल या अर्थिंग सेट में करंट आ रहा हो तो, तुरन्त पर फोन करें, विद्युत के नीचे गिरे हुए तार अथवा खंभे को न तो स्वयं हाथ लगाएं और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करनें दें, अपने मकानों या दुकानों का निर्माण विद्युत लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए करें, बिजली की लाईनों के नीचे कोई भी वाहन खड़ा करने से बचें, मकान के पास से गुजर रही विद्युत लाइनों पर पीवीसी पाईप नहीं डालें, ये कंरट के खतरे से आपको सुरक्षित नहीं, मकानों की छतों से गिरते पानी को विद्युत तंत्र से दूर रखें, बिजली की लाईनों के नीचे कोई समारोह, कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करें, बिजली के तार यदि किसी पेड़ के नजदीक से गुजर रहे हों तो उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं करें।

इन्द्रमोहन सिंह हनी बने जिलाध्यक्ष

कोटा, (निसं)। भाजपा नेता एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी को सिविल राइट्स सोसाइटी कोटा का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। यह जानकारी देते हुए सिविल राइट्स सोसाइटी के प्रदेशध्यक्ष मनफूल सिंह सैनी ने बताया कि एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह सामाजिक और मुद्दों को लगातार उठाते है और सक्रिय रहते इसके चलते उन्हें 2 वर्षो के लिए सोसाइटी का कोटा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। मोशन एजुकेशन नीट डिवीजन के 11 साल पूरे होने पर खास अंदाज़ में मनाया जश्न किया।

लॉटरी निकालकर दी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप

कोटा, (निसं)। मोशन एजुकेशन की ओर से अपने नीट डिवीजन के 11 साल पूरे होने का जश्न अनूठे अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर एक अनोखी लॉटरी का आयोजन किया गया, जिसमें 1744 भाग्यशाली विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई। मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने बताया कि यह मौका सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि उन हजारों स्टूडेंट्स के प्रति आभार भी है, जिन्होंने मोशन पर भरोसा कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की राह तय की। 11 साल पहले जब नीट डिवीजन शुरू किया गया था, केवल 60 विद्यार्थी थे। आज इस डिवीजन से 32,000 से अधिक स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स आज डॉक्टर बनकर देश-विदेश में सेवा दे रहे हैं। इस खास मौके पर लॉटरी के जरिए स्कॉलरशिप पाने वाले 11-11 स्टूडेंट्स को नीट की क्लासरूम और ऑनलाईन कोचिंग बिल्कुल फ्री देने की घोषणा की गई। क्लासरूम कोचिंग स्कॉलरशिप के रूप में पाने वालों में सूरजकुमार निराला, सत्यप्रकाश, शिवानी, ऋषभ कौशिक, हिमांशु वर्मा, पवन, प्रतिभा वर्मा, गगनदीप सिंह, राहुल सोनकर, अमर मिश्रा और अब्रदीप दास हैं। इनमें से जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते, उनके लिए अनुशासन बैच में ऑनलाईन क्लास चलाई जाएगी, जिसमें अनुभवी फैकल्टीज क्लासरूम जैसी ही पढ़ाई कराएंगे। इसके अलावा 11 विद्यार्थियों-अर्णव कुमार, दिव्यांशु शर्मा, सोनी सैनी, सागर कुमार, सौरव कुमार, खुशबू कुमारी, देवाशीष राज, मोहम्मद आसिफ, अर्जुन पटेल और आदित्य कुमार को अनुशासन बैच में निशुल्क ऑनलाईन कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा, लॉटरी के जरिए अलग-अलग स्तर की स्कॉलरशिप्स दी गईं। इसमें 111 स्टूडेंट्स को 30,000 रुपए में क्लासरूम और 25,000 में ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। 511 स्टूडेंट्स को 45,000 में क्लासरूम और 35,000 में ऑनलाइन कोचिंग ऑफर की गई। वहीं, 1111 स्टूडेंट्स को 60,000 में क्लासरूम और 40,000 रुपए में ऑनलाईन कोचिंग का लाभ मिलेगा। लॉटरी के लिए देशभर के 42000 से अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इस कार्यक्रम का यू-ट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया।

आम सूचना बाबत बेदखली

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार प्रकाश चन्द गुप्ता पुत्र श्री हरि किशन गुप्ता निवासी मकान नं. 208 गली नं. 7 बजरंग नगर कोटा के निर्देशानुसार आम सूचना जारी कर सूचित किया जाता है कि मेरी कोटा शहर में स्थित समस्त चल-अचल सम्पत्ति दुकान, मकान आदि से मेरे पक्षकार ने संजय मित्तल पुत्र प्रकाश चन्द गुप्ता को समस्त चल अचल सम्पत्तियों से बेदखल कर दिया है, शहर में कोई भी व्यक्ति संजय मित्तल से किसी भी प्रकार का नकद व सम्पत्ति की खरीद फरोख्त का संव्यवहार नहीं करे, अन्यथा उसके नफा-नुकसान के जिम्मेदार स्वयं होंगे, मेरे पक्षकार कोई लेना-देना नहीं रहेगा, सूचित हो।

कोटा

दिनांक: 20.6.2025

भवदीय

सत्यनारायण मेघवाल एडवोकेट

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम पल्लवी कोहली चन्डोक से बदलकर नया नाम पल्लवी कोहली रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-पल्लवी कोहली पुत्री रंजन कोहली 170, वल्लभबाड़ी कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम कल्याणी त्रिवेदी से बदलकर नया नाम कल्याणी कुनाल सोनी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-कल्याणी कुनाल सोनी पत्नि कुनाल सोनी 804 महावीर नगर-2 कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101011 **लोक सूचना** दि.20.06.2025

श्री PANKAJ VIJAY पुत्र श्री RANESH CHANDRA VIJAY जाति MAHAJAN निवासी 2-E GOPAL VIHARI, POLICE LINE KOTA श्री ANKUR VIJAY पुत्र श्री RAMESH CHANDRA VIJAY जाति MAHAJAN निवासी 2-E GOPAL VIHARI ,POLICE LINE KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **पर्यटन इकाई** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	गोविंदपुर बावड़ी, तलेड़ा (बूंदी)	1. ANKUR S/O RAMESH CHAND CASTE- MAHAJAN SA. KOTA KHATEDAR 2. PANKAJ S/O RAMESH CHAND CASTE- MAHAJAN SA. KOTA KHATEDAR	500/105	6151	0.6151
				कुल	0.6151

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20/06/2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/539 **विज्ञप्ति** दिनांक:-20.6.25

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बालाकुण्ड में स्थित कृषि भूमि योजना न्यू जवाहर नगर भूखण्ड संख्या डी-98 खसरा नं. 91/40 आवेदक/आवेदिका श्री लखबीर सिंह पुत्र स्व. श्री कृपाल सिंह निवासी डी-100, जवाहर नगर, कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 117 दिनांक 21.05.2001 को श्री कृपाल सिंह शेरा पुत्र श्री दिलीप सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 30.05.2019 को हो चुकी है। मृतक कृपाल सिंह शेरा के विधिक वारिसान पत्नि अमरजीत कौर, पुत्री हरविन्दर कौर, मंजीत कौर, पुत्र सुखबीर सिंह, लखबीर सिंह है। वारिसान द्वारा जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 09.08.2019 को अमरजीत कौर, हरविन्दर कौर, मंजीत कौर, सुखबीर सिंह द्वारा आवेदक पक्ष में किया गया है।

अतः श्री लखबीर सिंह पुत्र स्व.श्री कृपाल सिंह के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

STATE BANK OF INDIA GARH PALACE JHALAWAR - 31268

To,
M/s Galaxy Stone Industries
Prop. Mr. Arshil Shiekh
G-30A, RICCO Industrial Area, Phase III, Jhalawar, Distt. Jhalawar (Raj.)- 326001
Dear Sir,

NOTICE U/S 13(4) OF SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 WITHDRAWAL

With reference to the captioned subject, please note that without prejudice to the Bank's rights & contentions, possession notice U/s 13(4) issued by Bank under SARFAESI Act 2002 is hereby withdrawn and possession is restored of the property mentioned here under :-

This is without Prejudice to Bank's right and contentions to initiate / proceed further with legal action under SARFAESI Act 2002 for recovery of the Bank Dues.

Details of Property :-

Plot No. G 30 A, RICCO Industrial Area Phase III, Jhalawar, Distt. Jhalawar (Raj.) - 326001 Total Area : 1196 Sq.Mtr.

Bounded in the :-

North By : RICCO Plot No. G-30 (B) South By : RICCO Plot No. G-30
East By : RICCO Road 18 Mt. Wide West By : RICCO Land

Date : 16.06.2025, Place : Jhalawar

Authorised Officer State Bank of India

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला- चितौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2025-26/883 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक-20.6.25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/भूखंडधारी श्री संदीप सिंह पिता श्री शंकर सिंह एवं श्री बिजेन्द्र त्यागी पिता श्री अर्जुन सिंह त्यागी निवासी रावतभाटा के द्वारा नया बाजार आवासीय योजना के भूखंड संख्या 270 साईज 40x50 फीट क्षेत्रफल 2000 का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.01.2010 एवं उक्त भूखंड के उपविभाजन प्लान अनुसार दो भागों में निम्नानुसार विभाजित कर उपविभाजन का अनुमोदन चाहा गया है।

विभाजित भाग	उपविभाजित भूखंड सं.	स्वामित्व	साईज व क्षेत्रफल	चतुर्थ पडौस की स्थिति
प्रथम	270-ए	श्री संदीप सिंह पिता श्री शंकरसिंह निवासी रावतभाटा	20x50 =1000 वर्गफीट	पूर्व में-प्लाट नं. 269 पश्चिम में-उपविभाजित भूखंड संख्या 270-बी (जो श्री बिजेन्द्र त्यागी ने क्रय किया है।) उत्तर में-रोड नया बाजार 20'6" दक्षिण में-रोड नया बाजार 20'6"
द्वितीय	270-बी	श्री बिजेन्द्र त्यागी पिता श्री अर्जुनसिंह त्यागी निवासी रावतभाटा	20x50 =1000 वर्गफीट	पूर्व में-उपविभाजित भूखंड संख्या 270-ए (जो श्री संदीप सिंह ने क्रय किया है।) पश्चिम में-प्लाट नं. 271 उत्तर में-रोड नया बाजार 20'6" दक्षिण में-रोड नया बाजार 20'6"

अतः उक्त भूखंड का उपविभाजन प्रस्तुत उपविभाजन प्लान एवं उपरोक्त विवरण अनुसार अनुमोदित किये जाने में किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांक:-ननिको/को.उ./राजस्व/2025/73-74 दिनांक:-19.6.25

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजुद्दीन पुत्र श्री खाजुद्दीन निवासी 2-डी-15/16 आकाश नगर, केनाल मार्ग बोरखेडा कोटा द्वारा नगर निगम कोटा उत्तर की लघु यंत्रालय उपविधि 2010 के अनुसार श्री राजुद्दीन पुत्र श्री खाजुद्दीन निवासी 2-डी-15/16 आकाश नगर केनाल मार्ग बोरखेडा कोटा में आटा-चक्की लगाने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा उत्तर के ब्लॉक सी के द्वितीय तल के कमरा नं. 307 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा उपरोक्त उपविधि के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।

उपायुक्त नगर निगम कोटा (उत्तर)

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/3982 दिनांक: 20.6.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री गोपाल लाल जैन निवासी-86 प्रताप नगर दादाबाड़ी (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखंड संख्या-87 प्रताप नगर दादाबाड़ी कोटा (राज.) नगर निगम कोटा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखंड संख्या-87 प्रताप नगर दादाबाड़ी कोटा क्षेत्रफल-980 वर्गफुट का कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पत्र क्रमांक-रिकवरी/1984-85/2112 दिनांक 28.03.1985 को श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री फूलचन्द को नीलाम किया गया। श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री फूलचन्द ने उक्त भूखंड की वसीयत वसीयतनामा दिनांक 09.09.1998 से श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री गोपाल लाल जैन के पक्ष में की गई है। श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री फूलचन्द की मृत्यु दिनांक 19.11.2006 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत शेष विधिक वारिसान श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री गोपाल लाल जैन है। श्रीमती उर्मिला जैन पत्नी श्री गोपाल लाल जैन के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। **उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण**

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-ननिको-द./उपायुक्त प्रथम/भ.नि.अनु./2025/3996 दिनांक: 20.6.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती निर्मला नागपाल पत्नी श्री मुल्कराज नागपाल निवासी 247 शोपिंग सेन्टर कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 247 शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। भूखंड संख्या 247 शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट की राजस्थान सरकार द्वारा डीड ऑफ ग्रान्ट मण्डी कमेटी चम्बल प्रोजेक्ट कोटा द्वारा दिनांक 06.09.1961 को श्री राम लुभाया पुत्र श्री रामलाल के पक्ष में जारी की गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार श्री राम लुभाया की मृत्यु वर्ष 1965 में हो चुकी है एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी पत्नी श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री राम लुभाया की मृत्यु दिनांक 07.02.1988 को हो जाने के उपरांत आवेदिका श्रीमती निर्मला कुमारी पत्नी श्री मुल्कराज नागपाल द्वारा विधिक वारिसान घोषणा शपथ पत्र के आधार पर नामांतरण चाहा गया है। उक्त भूखंड संख्या 247 शोपिंग सेन्टर कोटा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण